प्रेस विज्ञप्ति

02.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा अन्य के विरुद्ध मामले में 31.30 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल बाज़ार मूल्य वाली 20 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली में स्थित आवासीय संपत्तियाँ, वाणिज्यिक इकाइयाँ, फ्लैट तथा भूमि के भू-खंड सम्मिलित हैं। जांच से यह उजागर हुआ है कि ये संपत्तियाँ संजय कुमार सुरेका के वास्तविक स्वामित्व एवं नियंत्रण में हैं तथा अपराध से अर्जित आय को छिपाने के उद्देश्य से इन्हें या तो उनके स्वयं के नाम पर अथवा उनके रिश्तेदारों, कर्मचारियों, सहयोगियों तथा आभासी कंपनियों (शेल कंपनियों) के नाम पर धारण किया गया है। वर्तमान कुर्की के साथ, ईडी ने इस मामले में अब तक लगभग 777.10 करोड़ रुपये के संचयी बाज़ार मूल्य वाली परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) तथा अन्य के विरुद्ध चल रहे धन शोधन जांच के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कलकत्ता के समक्ष द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की है। वर्तमान अनुपूरक अभियोजन शिकायत में 63 अतिरिक्त व्यक्तियों/संस्थाओं को अभियुक्त के रूप में नामजद किया गया है, जिनमें व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित दायित्व भागीदारी फर्में (एलएलपी), साझेदारी फर्में तथा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो अपराध से अर्जित आय के विषय में जानते हुए इसके शोधन में शामिल पाए गए हैं। यह अभियोजन शिकायत पीएमएलए के अंतर्गत की गई आगे की जांच के आधार पर दायर की गई है, जिसके दौरान अभिलेख पर ऐसे पर्याप्त अतिरिक्त साक्ष्य लाए गए हैं, जो धन शोधन के अपराध में उनकी संलिप्तता की पुष्टि करते हैं।

ईडी ने सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा संजय कुमार सुरेका तथा अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। प्राथमिकी में आरोप है कि मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) ने अपने प्रवर्तकों एवं निदेशकों के साथ मिलकर बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए स्टॉक विवरण, हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण तथा मनगढ़ंत अभिलेख प्रस्तुत कर बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) से धोखाधड़ीपूर्वक ऋण सुविधाएं प्राप्त कीं तथा तत्पश्चात ऋण की धनराशि का अन्यत्र उपयोग एवं गबन कर लिया, जिससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को लगभग 6,210.72 करोड़ रुपये (ब्याज के अतिरिक्ति) की अनुचित हानि हुई।

मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल), जिसका प्रवर्तन संजय कुमार सुरेका द्वारा किया गया था, पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में एकीकृत इस्पात विनिर्माण संयंत्रों का संचालन करती थी। पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि संजय कुमार सुरेका द्वारा एक अत्यंत सुव्यवस्थित धन शोधन तंत्र का संचालन किया गया, जिसके लिए उनके द्वारा 60 से अधिक आभासी कंपनियों (शेल कंपनियों), फर्मों तथा सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों (एलएलपी) का सृजन किया गया तथा जिन पर उनका नियंत्रण था, यद्यपि इन्हें औपचारिक रूप से कर्मचारियों, रिश्तेदारों, सहयोगियों तथा छद्म (डमी) निदेशकों के नाम पर धारण किया गया था। इन संस्थाओं का उपयोग अपराध से अर्जित आय का समायोजन प्रविष्टियों, असुरक्षित ऋणों, अंतर-कॉर्पोरेट लेन-देन, काल्पनिक व्यापारिक लेन-देन, हस्तांतरित साख पत्र (डिवॉल्व्ड लेटर ऑफ क्रेडिट), लेखा समायोजनों तथा धनराशि के चक्रीय संचलन के माध्यम से विपथन, हस्तांतरण तथा परतन (लेयरिंग) करने के लिए किया गया, जिसके

पश्चात उक्त धनराशि का अचल संपत्तियों, निवेशों तथा अन्य उच्च-मूल्य परिसंपत्तियों में समेकन किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि उनके निकट सहयोगियों एवं रिश्तेदारों के नियंत्रण वाली अनेक कंपनियों ने जानबूझकर अपराध से अर्जित आय के हस्तांतरण, परतन तथा उपयोग की सुविधा प्रदान की और सक्रिय रूप से भागीदारी की, जिसके जरिए समग्र धन शोधन तंत्र को संचालित करने में सहायता प्रदान की।

ईडी द्वारा इससे पूर्व धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष एक अभियोजन शिकायत तथा एक अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की जा चुकी है। वर्तमान द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लाने तथा धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाए गए नव-चिन्हित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अभियुक्त के रूप में नामजद करने के उद्देश्य से दायर की गई है। वर्तमान द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत के दायर किए जाने के साथ ही इस मामले में अभियुक्तों की कुल संख्या 97 हो गई है, जिनमें व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित दायित्व भागीदारी फर्में (एलएलपी), साझेदारी फर्में तथा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं।

आगे की जांच प्रगति पर है।